रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.) 127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-Section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 128] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 1991/फाल्गुन 8, 1912
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 1991/PHALGUNA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1991

का. आ. 145(अ):—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:—

1. केन्द्रीय सरकार, प्रयोगशालाओं या संस्थानों को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देने तथा विश्लेषकों को सरकारी विश्लेषकों के रूप में नियुक्त करने अथवा

मान्यता देने की बाबत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की क्रमशः धारा 12 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) और धारा (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित करती है।

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 की उपधारा (i) के खंड (ख) के अधीन प्राईवेट प्रयोगशालाओं की मान्यता और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 13 के अधीन उनके विश्लेषकों को, सरकारी विश्लेषकों के रूप में मान्यता, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती रहेगी।

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अधीन मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को सरकारी/स्वायत्त/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/शैक्षिक संस्था/राज्य या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यताप्राप्त प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा किया गया कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[सं. क्यू-15013/1/89-सीपी डब्ल्यू]

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### (Department of Environment, Forests and Wildlife)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 145(E).—In exercise of the powers conferred under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby issue the following orders, namely :—

1. The Central Government hereby delegates the powers with respect to grant of recognition to laboratories or institutes as environmental laboratories and to appoint or recognize Analysts as Government Analysts, as conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 12 and section 13 respectively of the Environment (Protection) Act, 1986 to the Central Pollution Control Board.

2. Recognition of private laboratories under clause (b) of sub-section (i) of section 12 of the Environment (Protection) Act, 1986 as well as recognition of their Analysts as Government Analysts under section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986, will continue to be done by the Central Government.

3. The laboratories recognized under clause (b) of sub-section (i) of section 12 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be specified as Government|Autonomous|Public Sector Undertaking| Educational Institution|State or Central Pollution Control Board Laboratories.

4. The work done by each Laboratory recognised under the Environment (Protection) Act, 1986, shall be included in the Annual Report of the Central Pollution Control Board.

5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. Q-15013|1|89-CPW]

MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991